न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

वाद पत्र संख्या :– 74/2020 **दायर तारीख :–** 02-07-2020

1. सरती देवी पत्नि श्री शिम्भूदयाल जाति जाट निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादिया

बनाम

1. अर्जित सोलंकी पुत्र राजेश कुमार जाति सोलंकी निवासी ई–701, जागरण अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर –17, सैक्टर–22 नई दिल्ली।

—प्रतिवादी

दावा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादिया
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी

निर्णय

निर्णय दिनांक : 16.02.2020

1. वादिया ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गांधीनगर के खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नंबर 3004/1 रकबा 0.0379, 3005/1 रकबा 0.0338, 3006/3 रकबा 0.3019 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा. 0.3736 हैक्टेयर की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि वादिया वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। यह है कि वादिया की वाद ग्रस्त आराजी भूमि से अथवा उसके किसी भाग से प्रतिवादी का कभी कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन वादिया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3004/1 व 3005/1 की भूमि के दक्षिण दिशा में प्रतिवादी की भूमि है, प्रतिवादी काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके मन में वादिया के प्रति दुर्भावना आ गई और वह बिना हक अधिकार के वादिया की भूमि को हडप करना चाहता है, जबकि वादिया ने अपनी भूमि का श्रीमान तहसीलदार विराटनगर के आदेश से पटवारी हल्का से दिनांक 25.06.2020 को सीमाज्ञान भी करवा लिया है। यह है कि प्रतिवादी, वादिया को एलानिया धमकी दी कि वह मौका मिलते ही वादिया को उसकी भूमि से जबरन बेदखल कर देगा। यह है कि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबे में सफल हो गया और उसने बिना हक अधिकार के वादिया को उसकी वाद ग्रस्त खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल कर देगा अथवा वादिया की भूमि दबा लेगा तो इससे वादिया के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादिया को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन है कि वादिया का वाद प्रतिवादी के खिलाफ मन्जूर किया जाकर प्रतिवादी व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

किया जावे कि वे वादिया को उसकी खातेदारी भूमि वाकै ग्राम गांधीनगर के खसरा नंबर 3004/1 रकबा 0.0379, 3005/1 रकबा 0.0338, 3006/3 रकबा 0.3019 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर से जबरन बेदखल नहीं करें। वादिया के आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें।

2. वाद पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहा, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. वादिया ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम गांधीनगर खाता संख्या 154 संवत् 2075–2078 **प्रदर्श–1**, नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2020 आदि पेश किये।
4. वादिया के वाद पत्र के समर्थन में पी.डब्लू–1 सरती देवी पत्नि शिम्भूदयाल, पी. डब्लू–2 प्रकाश चंद पुत्र फूलाराम के बयान पंज़ीबद्व किए गए।
5. अधिवक्ता वादिया की बहस सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम गांधीनगर के खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नंबर 3004/1 रकबा 0.0379, 3005/1 रकबा 0.0338, 3006/3 रकबा 0.3019 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। उक्त खसरा नंबरो की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रतिवादी का वादिया के नाम दर्ज खातेदारी पर कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अधिवक्ता वादिया की दलीले सुनी गई, जिनसे कि वादिया को प्रतिवादी द्वारा वादिया के नाम दर्ज खातेदारी में कब्जे काश्त में अनावश्यक्र बेदखली करना साबित होने से प्रतिवादी को वादिया के नाम दर्ज खातेदारी में अनावश्यक बेदखली करने एवं वादिया की दर्ज खातेदारी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।
7. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादिया का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नंबर 3004/1 रकबा 0.0379, 3005/1 रकबा 0.0338, 3006/3 रकबा 0.3019 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर के कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें एवं न ही करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. सरती देवी पत्नि श्री शिम्भूदयाल जाति जाट निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— वादिया**

बनाम

1. अर्जित सोलंकी पुत्र राजेश कुमार जाति सोलंकी निवासी ई–701, जागरण अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर –17, सैक्टर–22 नई दिल्ली। **—प्रतिवादी**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 74/2020 दावा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादिया** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू .... कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादिया का वाद प्रतिवादी के खिलाफ मन्जूर किया जाकर प्रतिवादी व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया को उसकी खातेदारी भूमि वाकै ग्राम गांधीनगर के खसरा नंबर 3004/1 रकबा 0.0379, 3005/1 रकबा 0.0338, 3006/3 रकबा 0.3019 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर से जबरन बेदखल नहीं करें। वादिया के आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें।

सुना गया। अधिवक्ता वादिया की बहस सुनी गई। पत्रावली में पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादिया के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नंबर 3004/1 रकबा 0.0379, 3005/1 रकबा 0.0338, 3006/3 रकबा 0.3019 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3736 हैक्टेयर के कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें एवं न ही करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवें।

निर्णय दिनांक 16.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 16.02.2020** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)